

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 103/2019 (2019/00170) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. उदा उर्फ उदयराम पिता देवीचन्द उर्फ देईचन्द गाडरी निवासी काली मंगरी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. गोमा पिता देईचन्द गाडरी
 2. किशन पिता पोखर गाडरी
 3. दीपा पिता बेणा गाडरी
 4. प्रताप पिता रायचन्द गाडरी
 5. हीरा पिता नानु गुजर
 6. रतनलाल पिता बगतावर गुजर
 7. शम्भुसिंह पिता समरथसिंह राजपूत
 8. भैरी पत्नि मोहन गाडरी
 9. बालु पिता पोखर गाडरी
- सर्व निवासी काली मंगरी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 10/12/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम काली मंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1353/1 रकबा 0.02हे0 1353/2 रकबा 0.25हे0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.27हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 10 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 09 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाड़ा

// 02 //

प्रकरण संख्या :- 103/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

काली मगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1353/1 रकबा 0.02हे0 1353/2 रकबा 0.25हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.27हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रुपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सौ पच्चास रुपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

